


194



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन
PBR/निगरानी/36जेन/भू.सं/2017/3652
प्रकरण क्र. /2017-18 निगरानी

अभिभाषक श्री मुस्ताई शकत
द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18-3-17
अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन 18-9-17

श्रीमती अवंतीबाई पत्नि भागीरथ, आयु 85 वर्ष, व्यवसाय-गृहकार्य, निवासी-8, यंत्रमहल मार्ग, नीलगंगा उज्जैनप्रार्थी विरुद्ध

1. तेजनारायण पिता चतुर्भूज, आयु 60 वर्ष
 2. देवनारायण पिता चतुर्भूज, आयु 65 वर्ष
 3. नंदकिशोर पिता चतुर्भूज, आयु 57 वर्ष
 4. सुभाष पिता चतुर्भूज, आयु 52 वर्ष
- समस्त निवासीगण-23, लक्कडगंज, मालीपुरा, उज्जैनप्रतिप्रार्थीगण
(5) म.प्र शासन

निगरानी धारा 50 म.प्र.भू.सं. के अंतर्गत

न्यायालय तहसीलदार महोदय उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 56-अ/12/2015-16 आर.पी.एन. तेजकुमार विरुद्ध शासन में दिये गए आदेश एवं कार्यवाही दिनांक 20.07.2017 के विरुद्ध

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन एवं नप्ती कार्यवाही के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही विधि विरुद्ध होकर प्रथम दृष्टया निरस्तकरणीय हैं।


3

02. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त परिशिष्ट में फरवरी 2016 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3652

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री मुस्तान खान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	